भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2442

10 अगस्त, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए

शहरी क्षेत्रों में पेयजल और स्वच्छता अवसंरचना

2442 श्री मिलिंद मुरली देवराः

क्या **आवासन और शहरी कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) महाराष्ट्र राज्य सहित अमृत 2.0 के अंतर्गत शामिल किए गए शहरों तथा कस्बों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) वर्ष 2021-22 से 2023-24 के दौरान मिशन के अंतर्गत संस्वीकृत, जारी तथा उपयोग की गई निधियों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है, जिसमें महाराष्ट्र का हिस्सा तथा उपयोगिता दर सम्मिलित हो;

(ग) पेयजल आपूर्ति संयोजनों, सीवर संयोजनों, उपचारित अपशिष्ट जल पुनर्चक्रण तथा हरित क्षेत्रों एवं पार्कों से संबंधित राष्ट्रीय तथा महाराष्ट्र के जिला-वार लक्ष्य तथा उपलब्धियां क्या हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सहित अन्य कोई राज्य निधियों के उपयोग संबंधी निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने में पीछे रहा है; और

(ङ) महाराष्ट्र तथा अन्य राज्यों में परियोजनाओं के आवंटन एवं पूर्णता में हुई देरी तथा कार्यान्वयन संबंधी कमियों को दूर करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन 2.0 (अमृत 2.0) 01 अक्टूबर 2021 को महाराष्ट्र सहित सभी शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी)/शहरों में शुरू किया गया है। मिशन के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परियोजनाओं का चयन, मूल्यांकन, प्राथमिकता निर्धारण और कार्यान्वयन करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने महाराष्ट्र के 141 यूएलबी सहित 3,371 यूएलबी में परियोजनाएं शुरू की हैं।

(ख) अमृत 2.0 के तहत 2021-22 से 2023-24 के दौरान महाराष्ट्र सहित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार जारी की गई और उपयोग की गई धनराशि का केंद्रीय हिस्सा अनुलग्नक-I में दिया गया है।

(ग) अमृत/अमृत 2.0 के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र मिशन दिशानिर्देशों के व्यापक फ्रेमवर्क के भीतर परियोजनाओं का चयन करते हैं और प्राथमिकता निर्धारित करते हैं। अमृत के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा 43,372 करोड़ रुपये की 1,411 जलापूर्ति परियोजनाएं, 34,471.71 करोड़ रुपये की 888 सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन परियोजनाएं और 2,522 पार्क और हरित स्थान परियोजनाएं शुरू की गई हैं। अमृत को अक्टूबर, 2021 में अमृत 2.0 की शुरूआत से इसमें शामिल किया गया था।

अमृत 2.0 के तहत, राज्य जल कार्य योजनाओं (स्वैप) को अनुमोदन दिया गया जिसमें 1,18,968.38 करोड़ रुपये की 3,572 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 71,133.01 करोड़ रुपये की 605 सीवरेज/सेप्टेज परियोजनाएं और 1087.12 करोड़ रुपये की 1649 पार्क परियोजनाएं शामिल हैं।

अमृत/अमृत 2.0 के माध्यम से और राज्यों के साथ अभिसरण में, शहरी क्षेत्रों में लगभग 270 लाख पानी के नल कनेक्शन और अमृत शहरों में लगभग 197 लाख सीवर कनेक्शन (मल कीचड़ और सेप्टेज प्रबंधन (एफएसएसएम) के माध्यम से कवर किए गए परिवारों सहित) प्रदान किए गए हैं। कुल 6,017 मिलियन लीटर प्रति दिन (एमएलडी) सीवेज शोधन क्षमता विकसित की गई है, जिसमें से 1,457 एमएलडी क्षमता पुनर्चक्रण/पुन: उपयोग के लिए विकसित की गई है। 11,119.44 एकड़ हरित क्षेत्र के विकास के साथ कुल 3460 पार्क परियोजनाएं पूरी की गई हैं।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, कुल लगभग 6000 एमएलडी शोधित प्रयुक्त पानी का गैर-पीने योग्य उद्देश्यों के लिए पुन: उपयोग किया जाता है। अमृत 2.0 के तहत अनुमोदित परियोजनाओं में पुन: उपयोग के लिए लगभग 1900 एमएलडी का विकास शामिल है।

अमृत/अमृत 2.0 के तहत, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र परियोजनाओं की शहर/यूएलबी-वार स्थिति को अपडेट करते हैं, जिले-वार नहीं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, प्रदान किए गए पानी और सीवर कनेक्शन की राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार संख्या अनुलग्नक-II में दी गई है।

(घ) और (ङ) अमृत 2.0 के तहत, निधियों का केंद्रीय हिस्सा अब एसएनए स्पर्श प्लेटफॉर्म के माध्यम से राज्यों को जारी किया जाता है, जिसमें राज्यों को मूल स्वीकृति जारी की जाती है और धन का वास्तविक समय में उपयोग किया जाता है।

मिशन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य उच्चाधिकार प्राप्त संचालन समिति (एसएचपीएससी) योजना को समय पर पूरा करने के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र स्तर पर इसके कार्यान्वयन की निगरानी और पर्यवेक्षण करती है। इसके अलावा, मिशन के अंतर्गत गठित एक शीर्ष समिति आवधिक रूप से मिशन की समीक्षा और निगरानी करती है। इसके अलावा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) द्वारा राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित वीडियो कॉन्फ्रेंस/वेबिनार/कार्यशालाओं/साइट-विजिट आदि के माध्यम से आवधिक रूप से प्रगति की समीक्षा और निगरानी की जाती है। अमृत 2.0 के तहत, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में किए गए कार्यों के आकलन और निगरानी के लिए, स्वतंत्र समीक्षा और निगरानी एजेंसियों (आईआरएमए) का प्रावधान किया गया है, जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में शुरू हो चुकी परियोजनाओं की समीक्षा और निगरानी करती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा प्रदान की गई प्रगति और परियोजना-वार परिणामों पर नज़र रखने के लिए एक विशिष्ट अमृत ऑनलाइन पोर्टल है।

"शहरी क्षेत्रों में पेय जल और स्वच्छता अवसंरचना" के विषय में 10 अगस्त, 2026 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2442 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-I

अमृत 2.0 (2021-22 से 2023-24) के तहत परियोजनाओं के लिए जारी की गई निधि और प्राप्त उपयोगिता प्रमाण पत्र

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	परियोजनाओं के लिए जारी केंद्रीय हिस्सा (2021-22 से 2023-24)	प्राप्त यूसी / उपयोग में लाई गई निधि
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	-
2	आंध्र प्रदेश	589.55	200.22
3	अरुणाचल प्रदेश	29.5	8.96
4	असम	56.65	56.65
5	बिहार	400	5.80
6	चंडीगढ़	33	33.00
7	छत्तीसगढ़	148.4	148.40
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	-	-
9	दिल्ली	211.41	211.41
10	गोवा	15.76	15.76
11	गुजरात	602.73	602.73
12	हरियाणा	140	133.74
13	हिमाचल प्रदेश	51.56	46.16
14	जम्मू और कश्मीर	158.6	11.64
15	झारखंड	104.52	25.66
16	कर्नाटक	614.37	614.37
17	केरल	148.74	148.74
18	लद्दाख	11.7	
19	मध्य प्रदेश	283.85	213.00
20	महाराष्ट्र	1140.68	1140.68
21	मणिपुर	17.05	0.00
22	मेघालय	65.07	65.07

23	मिजोरम	28	24.71
24	नागालैंड	35.19	35.19
25	ओडिशा	355.39	350.72
26	पुडुचेरी	28.82	28.82
27	पंजाब	254.69	107.91
28	राजस्थान	309.28	309.27
29	सिक्किम	3.62	3.62
30	तमिलनाडु	845.86	845.86
31	तेलंगाना	100	100.00
32	त्रिपुरा	64.93	64.93
33	उत्तर प्रदेश	678.07	678.07
34	उत्तराखंड	42.08	42.08
35	पश्चिम बंगाल	495.65	495.65
	कुल	**8064.71**	**6768.82**

"शहरी क्षेत्रों में पेय जल और स्वच्छता अवसंरचना" के विषय में 10 अगस्त, 2026 को राज्य सभा में पूछे जाने वाले अतारांकित प्रश्न संख्या 2442 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक-II

अमृत, अमृत 2.0 और इसके अभिसरण के तहत प्रदान किए गए नल और सीवर/सेप्टेज कनेक्शन

क्रम सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	अमृत, अमृत 2.0 और इसके अभिसरण के तहत देश के शहरी क्षेत्रों में प्रदान किए गए नल कनेक्शन	अमृत, अमृत 2.0 और इसके अभिसरण के तहत 500 अमृत शहरों में प्रदान किए गए सीवर/सेप्टेज कनेक्शन
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	9,099	-
2	आंध्र प्रदेश	5,41,334	4,52,727
3	अरुणाचल प्रदेश	4312	16,000
4	असम	2,00,595	-
5	बिहार	7,41,468	-
6	चंडीगढ़	176434	2,36,479
7	छत्तीसगढ़	3,80,836	3,70,700
8	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	39,673	41,227
9	दिल्ली	28,33,861	22,96,224
10	गोवा	78,685	8,502
11	गुजरात	28,50,929	42,49,908
12	हरियाणा	5,40,950	4,73,377
13	हिमाचल प्रदेश	46,686	42,744
14	जम्मू और कश्मीर	90,040	3,36,892
15	झारखंड	299296	33,000
16	कर्नाटक	10,03,983	7,08,638
17	केरल	12,24,619	5,68,549
18	लद्दाख	1620	1,620
19	मध्य प्रदेश	20,92,789	6,20,786
20	महाराष्ट्र	16,58,348	7,49,026
21	मणिपुर	28947	4,000
22	मेघालय	15143	31,000
23	मिजोरम	1,49,046	2,572
24	नागालैंड	5515	30,520

25	ओडिशा	8,16,172	4,14,177
26	पुडुचेरी	34,306	16,813
27	पंजाब	3,25,793	1,22,107
28	राजस्थान	4,89,391	7,75,048
29	सिक्किम	3907	17,400
30	तमिलनाडु	23,06,938	27,40,741
31	तेलंगाना	5,56,264	87,570
32	त्रिपुरा	1,33,268	600
33	उत्तर प्रदेश	18,39,116	24,33,845
34	उत्तराखंड	80,856	74,914
35	पश्चिम बंगाल	54,42,349	17,12,540
	कुल	**2,70,42,568**	**1,96,70,246**
